30—5—2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के वकील उपस्थित। प्रार्थीगण के वकील व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के वकील ने प्रार्थीगण वोहताराम व भारथाराम एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 क्रमशः मेहुल व सुश्री एंजल की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि इस प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। माफीक राजीनामा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने स्वेच्छा से पट्टा संख्या 19 के दक्षिण—पश्चिम भाग में **2.5** (ढाई फीट) लम्बाई में व 3 (तीन) फीट चौडाई में भूमि आम रास्ते की भूमि होना स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से उपरोक्त भूमि पट्टा संख्या 19 व विक्रय विलेख दिनांक 03—1—2022 में से रास्ते के उपयोग हेतु छोड दी है। भविष्य में अप्रार्थी संख्या 5 व 6 उक्त छोडे गए नाप के रास्ते के भाग पर पट्टा व विक्रय विलेख के आधार पर कोई क्लेम नही करेंगे। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 उक्त **2.5** (ढाई फीट) लम्बाई में व 3 (तीन) फीट भूमि का त्याग करते है, जिससे उक्त भूमि पर भविष्य में अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का कोई स्वामित्व हक अधिकार नही रहेगा। उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में रहेगी। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि को छोडकर पट्टा संख्या 19 की शेष भूमि के संबंध में पट्टे की वैधता व शुद्धता को भविष्य में चुनौती नही देंगे। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थीगण अब यह निगरानी आवेदन में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है, इसलिये प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक कर जरिये राजीनामा इस निगरानी को निस्तारित किया जावे। चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के मध्य लोक अदालत की भावना से उक्तानुसार राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण अब इस निगरानी आवेदन में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः प्रार्थीगण का यह निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार निर्णित किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)	